फा.सं. 4-181/2019-20/रा.म.आ.(प्रशा.)-198वीं बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली- 110 025

29 नवंबर, 2019

विषय: आयोग की 198वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में तारीख 21 नवंबर, 2019 को आयोग की 198वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव
2. उप सचिव, रा.म.आ.
3. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी, रा.म.आ.
4. सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, आयोग की वेबसाइट पर कार्यवृत्त अपलॉड करने के लिए
5. कार्यालय प्रति
6. गार्ड फाइल

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 21 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 198वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो शाइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ज्योति सिंघल	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
7. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
8. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक
9. श्री बंसी लाल	परामर्शदाता (सहायक)

आरंभ में संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/1:

तारीख 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित आयोग की 197वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित आयोग की 197वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 198/I/2:

तारीख 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित आयोग की 197वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग द्वारा तारीख 24.10.2019 को आयोजित 197वीं बैठक के संबंध में की कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 198/I/3:

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का पुनर्विलोकन करने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी, असम को प्रादेशिक परामर्श आयोजित करने के लिए 2,82,586 रूपये का व्यय।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी, असम को 2,82,586 रूपये का व्यय उपगत करने और 12,586/- रूपये की शेष रकम का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/4:

माताओं को संरक्षकता अधिकारों के संबंध में विधि पुनर्विलोकन पर रिपोर्ट।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और माताओं को संरक्षकता अधिकारों के संबंध में विधि पुनर्विलोकन के परामर्श पर रिपोर्ट के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया। आयोग ने एक प्रति विधि और न्याय मंत्रालय को भेजने की सिफारिश की।

कार्यसूची मद सं. 198/I/5:

स्वरलिपि पूर्त न्यास, मुंबई को संदत्त अग्रिम धन का नियमितीकरण

आयोग ने विचार-विमर्श किया और स्वरलिपि पूर्त न्यास, मुंबई को 4,50,000 रूपये के अग्रिम को विनियमित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया और मामले को बंद कर दिया। आयोग ने इस संगठन को कालीसूची में डालने की सिफारिश भी की।

कार्यसूची मद सं. 198/I/6:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए सेमिनार प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने विचार विमर्श किया और निम्नलिखित रूप से अनुमोदन प्रदान किया:

i. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 68 सेमिनार (54 पीएमआर+14एनईआर) का चयन करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।

ii. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चयन किए गए 68 सेमिनारों के लिए वित्तीय अनुमोदन इस कारण 1,55,02,850 रूपये (केवल एक करोड़ पचपन लाख दो हजार आठ सौ पचास रूपये) का व्यय हो सकता है। इस कुल रकम में से आयोग अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत जो कि 77,51,425/- रूपये (केवल सतहत्तर लाख इक्यावन हजार चार सौ पच्चीस रूपये) की रकम निर्मोचित कर सकता है।

कार्यसूची मद सं. 198/I/7:

अनुसंधान अध्ययन: जिला कोटा, राजस्थान में दहेज प्रतिषेध और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. पहली किश्त की रकम अर्थात् 1,09,620/- रूपये को पूर्ण और अंतिम मानकर इस मामले को बंद कर दिया जाए।
2. अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

कार्यसूची मद सं. 198/I/8:

अनुसंधान अध्ययन: उत्तर प्रदेश में आश्रय गृहों में रह रही महिलाओं के प्रति विशेष निर्देश करते हुए भारत में वृद्ध महिलाओं की देखभाल।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

I. गोविंद बल्लभपंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद द्वारा "उत्तर प्रदेश में आश्रय गृहों में रह रही महिलाओं के प्रति विशेष निर्देश करते हुए भारत में वृद्ध महिलाओं की देखभाल" शीर्षक नामक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।
II. अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार तीसरी और अंतिम किश्त की रकम का निर्मोचन।
III. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित/भेजी जाएं।
IV. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रतियां रखी जाएं।

कार्यसूची मद सं. 198/I/9:

अनुसंधान अध्ययन: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्राइवेट अस्पतालों की तैयारी और प्रवर्तन का स्तर।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

I. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्राइवेट अस्पतालों की तैयारी और प्रवर्तन का स्तर" शीर्षक नामक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

II. अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार तीसरी और अंतिम किश्त की रकम का निर्मोचन।

III. और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित/भेजी जाए।

IV. रिपोर्ट की एक प्रति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित/भेजी जाए।

V. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रतियां रखी जाए।

कार्यसूची मद सं. 198/I/10:

अनुसंधान अध्ययन: महिलाओं के व्यवहार पर भारतीय धारावाहिकों का प्रभाव- तमिलनाडू और केरल में तुलनात्मक विश्लेषण।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

I. कैलाश लिंगम अनुसंधान और शिक्षण अकादमी द्वारा "महिलाओं के व्यवहार पर भारतीय धारावाहिकों का प्रभाव- तमिलनाडू और केरल में तुलनात्मक विश्लेषण" शीर्षक नामक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

II. अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार तीसरी और अंतिम किश्त की रकम अर्थात् 1,80,359/- रूपये का निर्मोचन।

III. और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित/भेजी जाए।

IV. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रतियां रखी जाए।

कार्यसूची मद सं. 198/I/11:

अनुसंधान अध्ययन: पर्यावरण को बनाए रखने के लिए परंपरागत प्रज्ञता का दस्तावेजीकरण: हिमालय क्षेत्र में रह रही जनजाति पहाड़ी महिलाओं की अभिव्यक्ति

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

I. ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केंद्र, उत्तराखंड द्वारा "पर्यावरण को बनाए रखने के लिए परंपरागत प्रज्ञता का दस्तावेजीकरण: हिमालय क्षेत्र में रह रही जनजाति पहाड़ी महिलाओं की अभिव्यक्ति" शीर्षक नामक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

II. अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार तीसरी और अंतिम किश्त की रकम का निर्मोचन।

III. और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित/भेजी जाएं।

IV. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रतियां रखी जाएं।

आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 से अनुदत्त प्रस्तावों की बाबत रिपोर्टों को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने को भी ध्यान में रखा जाए।

कार्यसूची मद सं. 198/I/12:

आंकाक्षापूर्ण जिलों की रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणी/सिफारिश का अनुसमर्थन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और चार राज्यों में आंकाक्षापूर्ण जिलों की रिपोर्टें और इसके साथ उनमें अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ तथा एक समेकित रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/नीति आयोग/पीएमओ/संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/13:

स्वाधार गृह, यूएनआईसीएएम, उखरूल, मणिपुर के निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणी/सिफारिश का अनुसमर्थन

आयोग ने विचार विमर्श किया और आयोग द्वारा स्वाधार गृह, यूएनआईसीएएम, उखरूल, मणिपुर की निरीक्षण रिपोर्ट और इसके साथ इसमें अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणी/सिफारिशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट प्रेषित करने का भी अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/14:

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की और एनएमएचपी के अधीन मन:चिकित्सीय संस्थानों को मजबूत करने की स्थिति- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्र

आयोग ने विचार विमर्श किया और तारीख 18.10.2019 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र जिसमें देश में मानसिक स्वास्थ्य तथा मन:चिकित्सीय संस्थानों को मजबूत करने के कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई थी उसे आयोग के सदस्यों को परिचालित करने का विनिश्चय किया गया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/15:

आकांक्षापूर्ण जिला, चंडेल, मणिपुर की रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणी/सिफारिश का अनुसमर्थन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और आकांक्षापूर्ण जिला, चंडेल, मणिपुर की रिपोर्ट और इसमें की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ अनुमोदन के लिए तथा समेकित रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/पीएओ/नीति आयोग/संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/16:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए:

i. विशेषज्ञ समिति द्वारा पात्र पाए गए और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानी गई विश्वविद्यालयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii. कार्यसूची मद के ब्यौरों के अनुसार विधिक जागरूकता कार्यक्रम के मॉड्यूल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

iii. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चयन किए गए 99 महाविद्यालयों के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् पहली किश्त के रूप में कुल मंजूर रकम के 50 प्रतिशत रकम का संदाय करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

iv. प्रादेशिक समानता को बनाएं रखने के लिए आयोग ने यह सिफारिश की है कि केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहबद्ध महाविद्यालयों ओर माने गए विश्वविद्यालयों और उन राज्यों से जिनका 99 महाविद्यालयों की अंतिम सूची में कम प्रतिनिधित्व है नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाए।

कार्यसूची मद सं. 198/I/17:

वर्ष 2018-19 के दौरान 13 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेघालय राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 4,53,522/- रूपये (केवल चार लाख तिरपन हजार पांच सौ बाईस रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और मेघालय राज्य महिला आयोग को 9,41,022/- रूपये की कुल लागत पर 13 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंजूर किए गए थे। दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में मेघालय राज्य महिला आयोग को 4,53,522/- रूपये (केवल चार लाख तिरपन हजार पांच सौ बाईस रूपये) का निर्मोचन करने के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/18:

वर्ष 2017-18 के दौरान दस विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 4,04,700/- रूपये (केवल चार लाख चार हजार सात सौ रूपये) का समायोजन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और वर्ष 2019-20 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 4,04,700/- रूपये (केवल चार लाख चार हजार सात सौ रूपये) का समायोजन करने के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/19:

वर्ष 2017-18 के दौरान छह विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 5,160/- रूपये (केवल पांच हजार एक सौ साठ रूपये) का समायोजन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और वर्ष 2019-20 के दौरान 1,44,840/- रूपये की कुल लागत पर तीन विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 5,160/- रूपये (केवल पांच हजार एक सौ साठ रूपये) का समायोजन करने के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/20:

महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अधीन व्यय का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए:

i. दिल्ली, त्रिपुरा और ओडिसा राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्रमश: 1,60,000/- रूपये, 3,00,000/- रूपये और 2,70,000/- रूपये की प्रशासनिक मंजूरी भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई।

ii. क्रमश: दिल्ली, त्रिपुरा और ओडिसा राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्रमश: 80,000/- रूपये, 1,50,000/- रूपये और 1,35,000/- रूपये का निर्मोचन किया गया।

कार्यसूची मद सं. 198/I/21:

लिंग संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन पुरस्कार वितरण समारोह- के संबंध में

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 6,85,747/-रूपये (केवल छह लाख पिचासी हजार सात सौ संतालिस रूपये) जिसमें, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में दिए गए 2,70,000/- रूपये भी शामिल है, के व्यय के लिए भूतलक्षी प्रभाव से व्यय की मंजूरी प्रदान की गई।

कार्यसूची मद सं. 198/II/1:

तारीख 20.11.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने तारीख 20.11.2019 तक की व्यय विवरणी को नोट कर लिया है जो कि निम्नलिखित है:

तारीख 20.11.2019 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कुल प्राप्तियां	**तारीख 20.11.2019 तक व्यय**	**तारीख 20.11.2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास उपलब्ध अतिशेष**
15.20 करोड़	9.07 करोड़	6.13 करोड़

कार्यसूची मद सं. 198/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट (अक्तूबर, 2019) को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(ए. अशोली चलाई)
संयुक्त सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष